राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश

विशाल कॉम्प्लैक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
सिफ्सा, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आई.ई.सी. / 2015–16 / से0सं0वाहिनी / 13 / 8512 दि0–18/12/15

विषय–सेहत संदेशवाहिनी गतिविधि के संपादन हेतु सिफ्सा को अवमुक्त धनराशि एवं दिशानिर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि सिफ्सा द्वारा वर्ष 2015–16 की पी0आई0पी0 में सेहत संदेश वाहिनी का प्रस्ताव सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया जिसे मिशन निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत पी0आई0पी0 में भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर0ओ0पी0 वर्ष 2015–16 के एफ0एम0आर0 बी0 10.6.1 में सेहत संदेशवाहिनी हेतु रू0 931.95 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्राप्त अनुमोदन के कम में स्वीकृत धनराशि रू0 931.95 लाख का 50 प्रतिशत धनराशि रू0 465.975 लाख गतिविधि के संपादन हेतु सिफ्सा को अग्रिम स्वरूप अवमुक्त किया जा रहा है। इस कम में सेहत संदेशवाहिनी गतिविधि का संचालन निम्न दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>सिफ्सा को गतिविधि के संचालन हेतु दिशानिर्देश–</u>

1. सेहत संदेशवाहिनी के द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विभिन्न कार्यकमों यथा–मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम, किशोर एवं किशोरी स्वास्थ्य कार्यकम आदि के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाएं एवं सुविधाएं, विभिन्न कार्यकमों के इनटाइटिलमेंट आदि के बारे में जनसमुदाय को जागरूक किया जायेगा।
2. संदेशवाहिनी द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकमों के अंतर्गत प्रोत्साहित किये जाने वाले चिन्हित व्यवहारों के बारे में जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जायेगा।
3. सेहत संदेशवाहिनी के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी कार्यकमों की ऑडियो वीडियो फिल्म्स / स्पॉट्स की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये ताकि जन समुदाय में प्रदर्शन के दौरान इसके प्रसारण में अवरोध उत्पन्न न हो। तैयार की गयी सामग्री में यथासमय नयी योजनाओं एवं आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाये।
4. सेहत संदेशवाहिनी संबंधी ऑडियो वीडियो सी0डी0 आशाओं को भी उपलब्ध करायी जाये ताकि किन्ही कारणोंवश शो को न देख पाने वालों को भी कार्यक्रम पश्चात आशा द्वारा दिखाया जा सके। इस सी0डी0 की कॉपी सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 को भी उसके वेटिंग एरिया में लगे टी0वी0 सेट पर प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायी जाये।
5. सेहत संदेशवाहिनी के माध्यम से प्रसारित किये जाने वाले संदेशों / सामग्री का विधीक्षण एन0एच0एम0 स्तर पर अपर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में गठित आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत किया जाये।
6. सेहत संदेशवाहिनी का संचालन आर0ओ0पी0 वर्ष 2015–16 में स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार निर्धारित जनपदों, विकासखण्डों तथा गांवों में किया जाये।
7. सेहत संदेशवाहिनी का संचालन हेतु एन0एच0एम0 की वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक एवं मितव्ययतापूर्ण कय प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
8. सिफ्सा द्वारा गतिविधि के संचालन हेतु की जा रही कार्यवाही एवं प्रगति की भौतिक एवं वित्तीय आख्या मिशन निदेशक एन0एच0एम0 को प्रत्येक माह प्रेषित की जाये।
9. सेहत संदेशवाहिनी के क्षेत्र में संचालन की जनपद / ब्लाक / ग्राम / स्थल की तिथिवार कार्ययोजना, कार्यक्रम आरम्भ होने से एक माह पूर्व एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 के आई0ई0सी0 अनुभाग को उपलब्ध करा दी जाये जिससे क्षेत्र में इस गतिविधि का पर्यवेक्षण एन0एच0एम0 स्तर से भी किया जा सके।

- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सेहत संदेशवाहिनी शो हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधि का संपादन कराने का कष्ट करें। इस हेतु धनराशि रू0 931.95 लाख का 50 प्रतिशत रू0 465.975 लाख की धनराशि अग्रिम स्वरूप गतिविधि आरम्भ करने हेतु सिफ्सा का अवमुक्त की जा रही है। शेष 50 प्रतिशत धनराशि सिफ्सा से गतिविधि की भौतिक आख्या एवं अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय

(अभिषेक प्रकाश)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आई.ई.सी. / 2015-16 / से0सं0वाहिनी / 13 / तद्दि0-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
2. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, आई0ई0सी0 सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(अभिषेक प्रकाश)
अपर मिशन निदेशक

1. सेहत संदेशवाहिनी हेतु यथा सम्भव अच्छी स्थिति वाले टाटा एस वाहन को वरीयता दी जाये जोकि सभी आधुनिकतम ऑडियो वीडियो सिस्टम वैकल्पिक व्यवस्था के साथ, पावर बैकअप तथा 60 इंच एल0ई0डी0 स्क्रीन के साथ चलाये जाये।
2. सेहत संदेशवाहिनी शो हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के व्यय में ईधन का मूल्य, शो हेतु आवश्यक यंत्र, फैब्रीकेशन कास्ट, क्विज पुरस्कार, शो के प्रचार प्रसार हेतु आशा को दिया जाने वाला मानदेय, वाहन चालक, सिस्टम ऑपेरेटर तथा कौन्सलर का मानदेय सम्मिलित होगा।
3. सेहत संदेशवाहिनी में लगाये जाने वाले कौन्सलर को प्रसारित की जाने वाली सामग्री के संचालन से पूर्व प्रशिक्षित किया जाये।
4. प्रत्येक शो में सेहत संदेशवाहिनी के स्टॉफ द्वारा कार्यक्रम संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण किया जायेगा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवार नियोजन साधनों का वितरण किया जायेगा।
5. सेहत संदेशवाहिनी के शो का समय गर्मी एवं जाड़ों में ग्रामीण क्षेत्र की सुविधानुसार/उपलब्धता अनुसार ही रखा जाये।
6. सेहत संदेशवाहिनी शो के एक दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र/ग्राम में इसके बारे में सूचना एनाउन्समेंट/आशा, ए0एन0एम0 के माध्यम से करायी जाये।
7. प्रत्येक शो कम से कम दो घंटे की अवधि का होगा एवं प्रत्येक शो स्थल पर वाहन दो से तीन घण्टे पूर्व पहुंचेगा ताकि शो की प्री पब्लिसिटी कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
8. कार्यक्रम के शो में गांव में रहने वाले लोगों की कम से कम 40 से 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
9. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को वरीयता पर आच्छादित किया जायेगा। 5000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में दो शो किये जायेगें।
10. क्षेत्र/ग्राम में आयोजित प्रत्येक शो का सत्यापन संबंधित ग्राम प्रधान, ए0एन0एम0 एवं आशा से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सत्यापन आख्या में ग्राम प्रधान ए0एन0एम0 एवं आशा का मोबाइल नं0 भी दिया जाये।
11. प्रत्येक शो की दो फोटोग्राफ्स एवं गुणवत्तापूर्ण दो मिनट की ऑडियो वीडियो रिकाडिंग की सी0डी0 सिफ्सा द्वारा वेंडर से प्राप्त कर सुरक्षित रखी जायेगी ताकि ऑडिट के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।
12. सिफ्सा द्वारा वेंडर एजेंसी को संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण शो के संपादन उपरांत ही, सभी सत्सयापन आख्या प्राप्त होने तथा डिवीजनल पी0एम0यू0, एन0एच0एम0/सिफ्सा की संस्तुति के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
13. सेहत संदेशवाहिनी गतिविधि का अनुश्रवण जनपद स्तर पर ए0सी0एम0ओ0/डी0एच0ई0ओ0/डी0पी0एम0/डी0सी0पी0एम0 जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एवं ब्लाक स्तर पर एम0ओ0आई0सी0/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/बी0सी0पी0एम0 एवं ग्राम स्तर पर ए0एन0एम0 व आशा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।

<u>वित्तीय व्यवस्थाः–</u>

- सेहत संदेशवाहिनी शो के लिये आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।